फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री तख्तसिंह चुण्डावत निवासी 77, समता नगर, जैन मन्दिर के पीछे, हिरणमगरी सेक्टर नं. 3, उदयपुर।

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 46/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 21.08.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये क्रमांक सूकाअ/17/2023/96 दिनांक 18.08.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पत्रांक सूकाअ/17/2023/81 दिनांक 27.07.2023 से अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध करवा दि गयी एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना संधारण की श्रेणी में होकर सूचना तक पहुंच बनाया जाना संभव नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित बिन्दु संख्या 01 की सूचना जरिये पत्रांक सूकाअ/17/2023/81 दिनांक 27.07.2023 से उपलब्ध करवा दी जाने तथा बिन्दु संख्या 02 की सूचना संधारण की श्रेणी में होकर सूचना तक पहुंच बनाया जाना संभव नहीं होने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होक़र दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)